

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(होफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (2) 2018/गोप्र/प्रमुवसं/

दिनांक:- अगस्त, 2019

कार्यालय आदेश

श्री गणेश प्रसाद धाबाई, सेवानिवृत वनपाल के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर में दायर रिट संख्या 10153/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22.8.2017 की पालना में पदोन्नति सहित समस्त परिलाभ दिए जाने के आदेश दिए जाने के कारण एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.7 (1) वन/2009 दिनांक 10.4.2019 से वर्ष 2008-09 एवं प्रभावित आगामी वर्षों की डी.पी.सी. को रिव्यू किए जाने की अनुमति प्राप्त होने पर वर्ष 2008-09 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण को पुनरावलोकन किए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 14 अगस्त 2019 को किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार श्री गणेश प्रसाद धाबाई पुत्र प्रभु लाल, सेवानिवृत वनपाल को वर्ष 2008-09 में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर इन्हे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के वेतनमान एल-10 में (33800-106700) पदोन्नति आदेश एतद द्वारा जारी किए जाते हैं।

६०

(दीपक भटनागर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)

राज.जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (2) 2018/गोप्र/प्रमुवसं/ 5957-5962/c दिनांक:- 22 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक कोटा।
3. उप वन संरक्षक, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति श्री गणेश प्रसाद धाबाई पुत्र प्रभु लाल, सेवानिवृत वनपाल को उनके निवास स्थान के पते पर भिजवाने का श्रम करें।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेबसाईड पर अपलोड करें।
5. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षी पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह कालवी)

उप वन संरक्षक(प्रस्था.अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर